

तृतीय अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.)

वित्तीय नियम निर्धारित करता है कि जब सहायता अनुदान किसी विशेष प्रयोजन हेतु प्रदाय किया जाता है, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहितों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन उपरान्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान का उपयोग चाही गई प्रायोजन के लिए हुआ है, इसे अगले वर्ष 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक कुल ₹ 7,019.33 करोड़ मूल्य की कुल 534 उ.प्र. पत्र बकाया थी, जिसमें विभिन्न विभागों में वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान के विरुद्ध 30 दिसम्बर 2019 तक भी कुल ₹ 6,172.50 करोड़ मूल्य के 477 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

विभिन्न विभागों को प्राप्त सहायता अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की 30 दिसम्बर 2019 की स्थिति तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 वर्षावार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

निर्गत अनुदान	लंबित उ.प्र.प.*	लंबित उ.प्र.प. दिसम्बर 2019		
		विलंब	संख्या	राशि
2016–17 तक	सितम्बर 2017	दो वर्ष से अधिक	45	66.98
2017–18	सितम्बर 2018	एक वर्ष से अधिक	221	2,293.12
2018–19 के दौरान	सितम्बर 2019	03 माह	211	3,812.40
योग			477	6,172.50

(झोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी)

* वैसे अनुदान जिसकी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित है कि उ.प्र. पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में प्रेषित की जानी चाहिए।

मुख्य शीर्षवार एवं वर्षावार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति परिशिष्ट 3.1 में दर्शायी गयी है।

अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के मुख्य प्रकरण, नगरीय प्रशासन (₹ 2,165.67 करोड़ 227 उ.प्र.प.) गृहनिर्माण (₹ 2,047.55 करोड़ 19 उ.प्र.प.) एवं स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति और समानुदेशन (₹ 1,674.79 करोड़, 140 उ.प्र.प.) से संबंधित है।

सहायता अनुदान के विरुद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा नियत उद्देश्य हेतु अनुदानों की उपयोगिता समय पर प्रस्तुत करने संबंधी नियम एवं कार्यप्रणाली के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र निधियों का दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम को दर्शाता है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को बिना विलंब किये उपयोगिता प्रमाण पत्र के समय पर प्रस्तुत किये जाने से जुड़ी आंतरिक नियंत्रक तंत्र को सही करना चाहिए एवं नवीन अनुदान जारी करने के पहले सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाए।

3.2 संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक

वित्तीय नियम के अनुसार संक्षिप्त आकस्मिक देयकों को विस्तृत आकस्मिक देयकों के माध्यम से यथाशीघ्र समायोजित करना आवश्यक है।

निकाले गए संक्षिप्त आकस्मिक देयक के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करने का विवरण निम्न तालिका 3.2 में दिखाया गया है।

तालिका— 3.2 आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों के जमा करने की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	असमायोजित सं.आ. देयकों का प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान आहरित सं.आ. देयक		वर्ष के दौरान प्रस्तुत वि.आ. देयक		लंबित वि.आ. देयक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016–17	303	645.86	1,317	3,556.39	1,505	4,177.06	115	25.19
2017–18	115	25.19	1,387	3,846.56	1,342	3,738.80	160	132.95
2018–19	160	132.95	911	1,304.50	783	1,252.80	288	184.65

(ज्ञात: वित्त लेखे 2018–19 और कार्यालय म.ले. (ले. एवं. ह.) द्वारा संकलित जानकारी)

31 मार्च 2019 की स्थिति में, ₹ 184.65 करोड़ के 288 विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित है, जिसमें से 40 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹ 115.08 करोड़) एवं 248 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹ 69.57 करोड़) कमशः 2017–18 एवं 2018–19 से संबंधित है। 2018–19 तक विभागवर लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक मुख्यतः सहकारिता विभाग (₹ 170.36 करोड़), ग्रम उद्योग विभाग (₹ 5.95 करोड़), उद्योग विभाग (₹ 4.89 करोड़), एवं समाज सुरक्षा एवं कल्याण विभाग (₹ 1.32 करोड़), से संबंधित है। दीर्घकालीन समय से विस्तृत आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत नहीं किया जाना उनसे संबंधित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के अंतर्गत किये गये व्यय को अपारदर्शी बनाता है। लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों में संख्यानुसार 80 प्रतिशत एवं राशिनुसार 38.89 प्रतिशत की वृद्धि दिखी है, यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में आहरित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों में संख्यानुसार (34 प्रतिशत) एवं राशिनुसार (66 प्रतिशत) कमी आई है।

यद्यपि 16 जनवरी 2020 को, कुल लंबित 178 विस्तृत आकस्मिक देयक की राशि ₹ 7.38 करोड़ थी जिसमें से कमशः ₹ 0.97 करोड़ की कुल 29 विस्तृत आकस्मिक देयक वर्ष 2017–18 एवं ₹ 6.41 करोड़ की कुल 149 विस्तृत आकस्मिक देयक वर्ष 2018–19 से संबंधित है, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है।

निर्धारित समय के भीतर विस्तृत आकस्मिक देयक न जमा किया जाए तो न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है, बल्कि सार्वजनिक धन और अस्वास्थ्यकर व्यवहार के दुरुपयोग का जोखिम भी बढ़ाता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि में सं.आ. देयकों का समायोजन करें।

3.3 स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार ने विभिन्न स्वायत्त निकाय स्थापित किये हैं, जिसमें से केवल चार स्वायत्त निकायों का लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को न्यासित किया है। दिसम्बर 2019 में सौंपे गये स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा लेखों की लेखापरीक्षा, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विवरण आगे की तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका 3.3 खातों को जमा करने की स्थिति

क्र. सं.	निकाय	अनुभाग	सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष खातों को प्रदान किया गया	एस.ए.आर. की स्थिति	खातों के प्रतिपादन में देरी (माह)
01	कैम्पा निधि, छत्तीसगढ़ राज्य	20(1) डीपीसी एकट 1971	2014–15 से आगे	2016–17	राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने संबंधी सूचना अपेक्षित है।	18 (2017–18) 06 (2018–19)
02	छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला कानून सेवा अभिकरण	19(2) डीपीसी एकट 1971	2009 से आगे	2012–13 से 2014–15	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया।	42 (2015–16) 30 (2016–17) 18 (2017–18) 06 (2018–19)
03	छत्तीसगढ़ राज्य आवास मंडल	19(3) डीपीसी एकट 1971	2007–08 से 2011–12	2007–08 से 2011–12	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया लेकिन इसे राज्य विधान सभा में रखे जाने की सूचना अप्राप्त है।	2011–12 के बाद अप्रस्तुत

छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण के खातों का लेखा परीक्षा डीपीसी एकट 1971 के अनुभाग 19 (2) के अंतर्गत दिनांक 5 मार्च 2019 को न्यासित किया गया। लेखापरीक्षा अचल संपत्ति (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (मार्च 2016) के अधिनियमित होने के तीन वर्ष बाद, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019–20 से प्रारंभ होगा।

अनुशंसा: प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वायत्त निकाय लेखापरीक्षा को लेखे समय से प्रस्तुत करें।

3.4 सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कंपनी अधिनियम 2013 निर्धारित करता है कि कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छ: माह के अंदर अर्थात् सितम्बर माह तक तैयार किया जाना है, ऐसा न होने पर दोषी कंपनी से संबंधित प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के अधीन भागीदारी बनाती है, जिसके अंतर्गत दण्ड के रूप में एक वर्ष का कारावास या जुर्माना के रूप में ₹ 50,000 से ₹ 5,00,000 तक या दोनों हो सकता है। 31 दिसम्बर 2019 तक का सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण (सा.क्षे.उ.) के लेखे के निस्तारण में प्रगति का विवरण तालिका 3.4 दर्शाया गया है:—

तालिका:3.4 कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखे के निस्तातरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	28	3	31
2	बकाया लेखे वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	18	2	20
3	बकाया लेखे की संख्या	25	3	28
4(अ)	छह वर्षों से अधिक बकाया सा.क्षे.उ. की संख्या	निरंक	निरंक	थनरंक
4(ब)	उपरोक्त लोक सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	निरंक	निरंक	थनरंक
5(अ)	दो से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	4	1	5
5(ब)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	11	2	13
6(अ)	एक वर्ष तक सा.क्षे.उ. की बकाया लेखे की संख्या	14	1	15
6(ब)	एक वर्ष सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	14	1	15
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 4	1 से 2	1 से 4

(झोतः— कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर संकलित आंकड़े)

राज्य सरकार नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उस अवधि में, जिसमें उनके लेखे 31 मार्च 2019 तक लंबित थे, ₹ 12,789.88 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान एवं आर्थिक सहायता) प्रदान की तथा दायित्व (प्रत्याभुति) स्वीकार किया। इन सार्वजनिक उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुये अपने विगत एक से चार वर्षों के लेखों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिया गया। हालांकि अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोई भी बजटीय सहयता प्रदान नहीं की गई। इस कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित इन सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों के प्रमाणीकरण के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ रहे।

उपरोक्त कथन संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की अक्षमता का घोषित है और विशेष रूप से वित्त विभाग यह सुनिश्चित करे कि चूक करने वाली कंपनियां संबंधित अधिनियमों का अनुपालन करें।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी सा.क्षे. उपक्रमों के प्रकरणों (जिसके लेखे बकाया हैं) की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन हों और उस सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन अवरुद्ध करना चाहिए जहां लेखे लगातार बकाया हैं।

3.4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का घोषित न होना:-

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को शासकीय द्वारा अंशदानीत प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे अनुसार, 12 सा.क्षे.उ. ने ₹ 981.76 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया। केवल दो सा.क्षे. उपक्रमों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः ₹ 2.33 करोड़ (जिसमें से ₹ 2.25 करोड़ तथा ₹ 0.08 करोड़ क्रमशः छत्तीसगढ़ सरकार व भारत सरकार से संबंधित हैं) और ₹ 0.81 करोड़ (छत्तीसगढ़ सरकार व भारत सरकार की 50:50 हिस्सेदारी) करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया। मुख्य लाभ अर्जन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (लाभ ₹ 671.82 करोड़) व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (लाभ ₹ 106.83 करोड़) थे जिन्होंने लाभांश घोषित नहीं किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार का शेयर पूँजी निवेश पर प्राप्त वापसी के लिए नीति तैयार करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि लाभांश अर्जित करने वाले सा.क्षे. उपक्रमों नीति के अधीन लाभांश घोषित करें।

3.5 हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 22 और 23, यह प्रावधान करता है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक मामले को महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में यह प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण भवन, सड़क और पूलों जैसी अचल सम्पत्ति का कोई भी गंभीर नुकसान महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच की जाती है और इस तरह के नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गये उपायों/कार्यवाही की जानकारी दी जाती है।

31 मार्च 2019 की स्थिति में, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 2,061 लंबित मामलों में से निर्णयक जांच और निपटान के लिए ₹ 125.49 करोड़ की राशि लंबित थी। लंबित मामलों का विभाग—वार तथा श्रेणी—वार विभाजन परिशिष्ट—3.4 में दिया गया है। मामलों का वर्ष—वार विश्लेषण परिशिष्ट—3.5 में दिखाया गया है। लंबित मामलों की आयु—प्रोफाइल और प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या जैसे चौरी और गबन आदि की तालिका 3.5 में दी गई है।

तालिका 3.5 हानियों एवं गबनों आदि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधि			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 – 5	285	45.17	चोरी	135	0.54
5 – 10	507	60.02	सम्पत्ति / सामग्री यों की हानि	1,855	119.54
10 – 15	309	9.04	गबन	71	5.41
15 – 20	179	2.58	लंबित प्रकरणों का योग	2,061	125.49
20 – 25	227	4.82			
25 से अधिक	554	3.86			
योग	2,061	125.49			

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण)

कुल 2,061 प्रकरण में से वन विभाग में 431 प्रकरण तथा शिक्षा विभाग में 38 प्रकरण, 25 वर्षों से अधिक लंबित थे। 2,061 प्रकरण में से 349 प्रकरणों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज हुए हैं।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 16 मामलों में, विभिन्न विभागों ने 2018–19 के दौरान ₹ 6.43 लाख वसूल किया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट—3.6 में है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए, तथा इसे प्रकरणों के पुनरावृत्ति को रोकने/घटाने हेतु आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करना चाहिये।

3.6 व्यक्तिगत जमा खाते

छत्तीसगढ़ कोषालय संबंधित के सहायक नियम-543 के अनुसार राज्य शासन व्यक्तिगत जमा खातों को जिसमें निधि संचित निधि को आकलित कर विशेष उद्देश्य हेतु खोले जाने के लिए अधिकृत है। व्यक्तिगत जमा खाते प्रशासकों के नाम से मुख्य शीर्ष 8443— सिविल जमा —106— व्यक्तिगत जमा के अधीन लेखे रखे जाते हैं।

वर्ष 2015–19 के दौरान राज्य में संचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण तालिका 3.6 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.6 व्यक्तिगत जमा खातों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल तक की प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान प्राप्तियां/योग		वर्ष के दौरान बंद लेखे/अदायगी		31 मार्च तक की अंत शेष राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2015–16	312	1,630.82	05	669.18	25	603.54	292	1,696.46
2016–17	292	1,696.46	08	918.64	19	722.63	281	1,892.47
2017–18	281	1,892.47	02	643.80	20	779.27	263	1,757.00
2018–19	263	1,757.00	02	508.61	34	374.51	231	1,891.10

(स्रोत— संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

तालिका 3.6 से दर्शित होता है कि वर्ष 2015–16 से 2018–19 के दौरान कुल 17 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गये तथा 98 खातों को बंद किया गया। आगे, 31 मार्च 2019 की स्थिति में 231 व्यक्तिगत जमा खाते संचालन में थे जिसका अंतःशेष की राशि ₹ 1,891.10 करोड़ रहा।

आगे, राज्य सरकार ने मार्च 2019 में विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन राशि ₹ 0.50 करोड़ का आहरण किया तथा इसे व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किया। इसका विवरण परिशिष्ट 3.7 में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में इस तरह का हस्तांतरण बजटीय अनुमान के व्यपगत होने को रोकने हेतु किया गया है।

3.6.1 व्यक्तिगत जमा खाते में भू—अर्जन की निधि

कुल शेष की राशि ₹ 1,891.10 करोड़ में से भू—अर्जन की राशि ₹ 1,637.42 करोड़ संबंधित लाभार्थियों को वितरण न होने के कारण व्यक्तिगत जमा खाते में पड़ी रही। भू—अर्जन से संबंधित अवितरित राशि का कोषालय वार विवरण परिशिष्ट 3.8 में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तथ्य निदेशक, पेशन एवं कोषालय लेखा, छत्तीसगढ़ रायपुर के ध्यान में लाया गया जबकि उत्तर अब तक अपेक्षित है (जनवरी 2020)।

3.6.2 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा खाता वित्त विभाग की सहमति से संधारण किया जा सकता है। मौजूदा नियमानुसार महालेखाकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत जमा लेखे जिसमें तीन वर्षों तक लगातार कोई संव्यवहार न हुआ हो के मामले में संबंधित एवं खाते के प्रशासक को सूचना देते हुए खाता बंद किया जाए एवं खाते की शेष राशि राजस्व जमा में स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाए।

कोषालय के अभिलेखों का नमूना जाँच में यह पाया गया कि कुल 231 व्यक्तिगत जमा खातों में से 20 व्यक्तिगत जमा खातों का कुल अंतिम शेष राशि ₹ 3.47 करोड़ था जो कि तीन वर्ष से अधिक असंचालित रहे तथा असंचालित लेखाओं को बंद करने हेतु संबंधित कोषालय अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई।

इंगित किए जाने पर, कोषालय अधिकारियों ने स्वीकार किया तथा बताया कि अंसचालित व्यक्तिगत जमा खाते के संबंध में संबंधित विभागों से संवाद कर इस पर कार्यवाही की जावेगी।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा इस खाते में अनावश्यक पड़े हुए राशि शीघ्र ही संचित निधि में जमा करना सुनिश्चित करें और निधियों का उपयुक्त शीर्ष में वर्गीकरण हेतु निर्देशित करें।

3.7 राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति की होती है, एवं यह राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाता है। पूँजीगत व्यय उस व्यय को परिभाषित करता है जो कि ठोस एवं स्थायी परिसम्पत्ति में वृद्धि या स्थायी दायित्वों में कमी को दर्शाता है।

भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2 अनुदान और सहायता अनुदान के वर्गीकरण के बारे में निर्धारित करता है कि अनुदान द्वारा सहायता प्राप्त अनुदान को वर्गीकृत किया जाएगा और चाहे जो भी हो, अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरण में राजस्व व्यय के रूप में हिसाब लगाया जाएगा। वह उद्देश्य जिसके लिए निधियों का वितरण किया गया था। केवल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों में, इन पर सरकार के वित्तीय विवरणों में पूँजी शीर्ष के खाते में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अलावा, सरकारी लेखा नियम 1990 के नियम 30 और छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-1 के खंड 324 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूँजी शीर्ष या राजस्व शीर्ष किस तरह से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

पूँजी शीर्ष में वर्गीकृत की जाने वाला व्यय को मोटे तौर पर स्थायी प्रकार की संपत्ति को बढ़ाने और स्थायी चरित्र की बढ़ती हुई वस्तु के साथ किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर खर्च या स्थानीय निकाय या संस्थाओं को अनुदान पर खर्च संपत्ति बनाने के उद्देश्यों के लिए जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों के लिए होगा, आमतौर पर पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, और विशेषरूप से प्राधिकृत, उन मामलों को छोड़कर, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पूँजीगत शीर्ष ढाला गया हो।

वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ शासन ने बजट प्रावधान किया और महालेखाकार की सहमति प्राप्त किये बिना पूँजी शीर्ष के तहत पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिये ₹ 1,998.74 करोड़ के व्यय का वर्गीकरण किया। इसके अलावा ₹ 3.95 करोड़ की व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान, ₹ 0.21 करोड़ का रखरखाव कार्य और ₹ 0.85 करोड़ का कार्यालय व्यय राजस्व मुख्य शीर्ष के बजाय पूँजीगत मुख्य शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया गया है। विवरण परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है।

3.8 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वित्त लेखे में व्यय एवं राजस्व के त्रुटिपूर्ण अंकन/लेखन के फलस्वरूप राजस्व आधिक्य में राशि ₹ 3,057.79 करोड़ की अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में राशि ₹ 1,054.04 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जो कि तालिका 3.7 में दिया गया है:

तालिका 3.7 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति
सहायता अनुदान राशि का राजस्व के स्थान पर पूँजीगत शीर्ष में दर्ज करना {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 1(v), वित्त लेखा खंड -I}	1,998.74	0.00	0.00	0.00
कार्यालय व्यय को पूँजीगत शीर्ष में दर्ज किया गया {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 1(v), वित्त लेखा खंड -I}	0.85	0.00	0.00	0.00
पेशेवर सेवा व्यय राजस्व के बदले पूँजी अनुभाग के तहत दर्ज किया गया {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 1(v), वित्त लेखा खंड -I}	3.95	0.00	0.00	0.00
रख-रखाव व्यय को राजस्व के स्थान पर पूँजीगत शीर्ष दर्ज करना {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 1(v) , वित्त लेखा खंड -I}	0.21	0.00	0.00	0.00
पेशन पर व्यय लेखों में शामिल नहीं करना {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 2(iv) , वित्त लेखा खंड -I}	399.82	0.00	0.00	399.82
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में अनुदान का अहस्तांतरण {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 3 (viiii) (I) (a) (i), वित्त लेखा खंड -I}	139.00	0.00	0.00	139.00
ऋणशोधन निधि में कम अंशदान {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 3 (viiii) (I) (b) (i), वित्त लेखा खंड -I}	164.54	0.00	0.00	164.54
अद्योसंरचना विकास उपकर का गैर हस्तांतरण {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 3 (viiii) (I) (b) (iv) (a) , वित्त लेखा खंड -I}	165.87	0.00	0.00	165.87
पर्यावरण उपकर का गैर हस्तांतरण {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 3 (viiii) (I) (b) (iv) (b) , वित्त लेखा खंड -I}	165.87	0.00	0.00	165.87
केन्द्रीय सड़क निधि के सहायता अनुदान का गैर हस्तान्तरण {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 3 (ix) , वित्त लेखा खंड -I}	14.02	0.00	0.00	14.02
आकस्मिक निधि से अग्रिम का समायोजन नहीं होना {लेखाओं के लिए टिप्पणियों का पैरा संख्या 3 (ix) , वित्त लेखा खंड -I}	4.92	0.00	0.00	4.92
कुल (शुद्ध) प्रभाव	3,057.79	0.00	0.00	1,054.04

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में, राजस्व आधिक्य के ₹ 3,057.79 करोड़ के अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटा के ₹ 1,054.04 करोड़ के न्यूनोक्ति के कारण राज्य के राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटा जो कि वित्त लेखा में ₹ 683.76 करोड़ तथा ₹ 8,292.23 करोड़ वर्णित है, वास्तव में ₹ 2,374.03 करोड़ का राजस्व घाटा तथा ₹ 9,346.27 करोड़ का राजकोषीय घाटा होंगे।

3.9 लघु शीर्ष-800 में समायोजन

लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से संबंधित हैं को तब क्रियाशील करना है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष-800 को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खाता को अपारदर्शी बनाता है और यह योजनाओं के कार्यक्रमों आदि को खुलासा नहीं करता है, जिससे यह संबंधित है।

वित्त लेखा 2018–19 की जांच में पाया गया है कि संबंधित 44 मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 65,094.93 करोड़) का 4.22 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2,749.90 करोड़ को लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों में वर्गीकृत किया गया था। 29 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत खातों (राजस्व प्राप्तियों) के तहत कुल प्राप्तियों ₹ 13,653.63 करोड़ में से ₹ 2,677.56 करोड़ (19.61 प्रतिशत) शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के तहत वर्गीकृत किए गए थे। लघु शीर्ष की प्राप्तियाँ मुख्यशीर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की 11 से 103 प्रतिशत थी। विवरण परिशिष्ट 3.10 में दिया गया है।

इसी प्रकार कुल व्यय ₹ 73,314.62 करोड़ का 1.41 प्रतिशत अर्थात् ₹ 1,033.96 करोड़ को 47 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय में दर्ज किया गया।

हमने यह भी देखा कि 13 मुख्य शीर्षों के खातों (राजस्व और पूँजी) के तहत ₹ 953.30 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय ₹ 1,740.33 करोड़ का 54.79 प्रतिशत है, इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, 800–अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किए गए थे। इस तरह का व्यय संबंधित शीर्ष के तहत कुल व्यय का 11 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि परिशिष्ट-3.11 में दिखाया गया है।

अनुशंसा: वित्तीय विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार विमर्श करके लघु शीर्ष-800 में प्रदर्शित होने वाले सभी का विस्तृत अवलोकन करे एवं यह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय भविष्य में संबंधित लेखा शीर्ष में दर्ज हों।

3.10 स्थानीय लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताएं नीचे प्रदर्शित हैं:

3.10.1 शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार राज्य समेकित निधि एवं राज्य लोक लेखा से आहरित राशि शासन की विशेष स्वीकृति के बिना किसी भी बैंक खातों में नहीं जमा की जाएगी और आहरित धन की तत्काल आवश्यकता न होने पर धनराशि सरकार के खाते में अभ्यर्पित की जानी चाहिए।

तीन आहरण एवं संवतरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि अवधि 2015–19 के विभिन्न योजनाओं से संबंधित ₹ 0.85 करोड़ की धनराशि कोषालय से आहरित कर बैंक खातों में रखी गई जाकि तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8 सरकारी खाते के बाहर निधियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विभाग का नाम	राशि संबंधित है	वर्ष	राशि
01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मस्तूरी, बिलासपुर	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) योजना	2015–19	0.50
02	सहायक निदेशक, खेल एवं युवा कल्याण, राजनांदगांव	ग्रमीण क्षेत्र खेल अभियान योजना	2017–18	0.24
03	खण्ड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओं), बोल्डा, कबीरधाम	मध्यान्ह भोजन योजना, छात्रवृत्ति, खेल निधि	2018–19	0.11
योग				0.85

(स्रोत: संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि राशि का न तो उपयोग किया गया और न ही वापस शासकीय खाते में जमा किया गया। शासन के खाते से बाहर धनराशि को रखाव वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

अनुशंसा: शासन को शासकीय खाते से बाहर धनराशि को रखने से रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए तथा कोषालय संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए विभागों को निर्देशित करना चाहिए।

3.10.2 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार अग्रिमों के समायोजन तीन माह के अंदर वर्गीकृत देयक और प्रमाणक प्रस्तुत कर किया जाना चाहिए।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों और सूचनाओं की जाँच के दौरान यह पाया गया कि 31 मार्च 2019 की स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा समायोजन प्रमाणक के गैर संग्रहण के कारण ₹ 16.15 करोड़ अग्रिम के 1,008 मामले समायोजन के लिए लंबित थे। लंबित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण तालिका 3.9 में दर्शाया गया है। अग्रिमों का विभागवार और वर्षवार विवरण परिशिष्ट 3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: अस्थायी अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लंबित समयावधि	अवधि	अग्रिमों की संख्या	राशि
1	10 वर्ष से अधिक	2007–08 तक	182	0.11
2	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	2008–09 से 2012–13	54	0.64
3	1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	2013–14 से 2017–18	705	15.01
4	1 वर्ष तक	2018–19	67	0.39
योग			1,008	16.15

(स्रोत: संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी)

लंबित अग्रिम राशि ₹ 16.15 करोड़ जिसमें से ₹ 15.01 करोड़ विगत पाँच वर्षों से संबन्धित है, अग्रिमों के समायोजन में विभागीय अधिकारियों द्वारा संहिता के प्रावधानों के लागु करने में शिथिलता दर्शाती है।

अनुशंसा: अस्थायी अग्रिम के यथासमय समायोजन के लिए शासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

3.11 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

सरकारी विभाग द्वारा संग्रहित श्रम उपकर छ.ग. समेकित निधि जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत आवश्यक है, में प्रेषण न करते हुए सीधे मुख्य शीर्ष— 8443 सिविल जमा – 108 लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा में दर्ज किया गया है। जबकि लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा का कोई उप-शीर्ष नहीं होने के कारण श्रम कल्याण मण्डल में जमा राशि को पृथक करना संभव नहीं है।

3.11.1 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से प्रत्यक्ष हुआ कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा एकत्रित उपकर चेकों/धनादेशों के माध्यम से मण्डल को भेजा गया या इसी उद्देश्य के लिए खोले गए मण्डल के बैंक खाते में जिला श्रम कार्यालयों द्वारा जमा किया गया। अवधि वर्ष 2015–16 से 2018–19 में उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति का विवरण तालिका 3.10 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.10 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			कुल उपलब्ध राशि	व्यय (स्थापना व्यय सम्मिलित)	अंतः शेष
			नमांकन शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	बोर्ड के खाते में प्राप्त श्रम उपकर	जमा पर व्याज			
1	2015–16	247.48	0.07	127.34	20.85	395.74	121.95	273.79
2	2016–17	273.79	0.15	172.71	19.76	466.41	183.92	282.49
3	2017–18	282.49	0.22	185.93	13.91	482.55	209.10	273.45
4	2018–19	273.45	0.95	199.71	19.99	494.10	193.57	300.53

(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मण्डल द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित)

वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 193.57 करोड़ के कुल व्यय में से बोर्ड द्वारा ₹ 166.98 करोड़ (86 प्रतिशत) कल्याणकारी योजनाओं पर, ₹ 18.86 करोड़ (10 प्रतिशत) विभिन्न गतिविधियों जैसे सेमिनार, कार्यशालाओं, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बैठक व यात्रा पर और ₹ 7.73 करोड़ (चार प्रतिशत) स्थापना पर व्यय किया गया।

राज्य सरकार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण कोष से लाभार्थियों को पेंशन, मातृत्व लाभ, घरों के निर्माण के लिए अग्रिम, अंतिम संस्कार सहायता, चिकित्सा सहायता, छात्रों के लिए खेल में प्रोत्साहित करने के लिए सहायता, शिक्षा/विवाह/कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता, एलपीजी गैस कनेक्शन का वितरण जैसी विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों का संचालन किया गया है। वर्ष 2015–16 से 2018–19 के दौरान इन योजनाओं पर व्यय का विवरण तालिका 3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11 उपलब्ध निधि का योजनाओं पर व्यय

वर्ष	उपलब्ध राशि (₹ करोड़ में)	संचालित योजना		योजना पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	वर्ष के अंत में पंजीकृत श्रमिक	लाभान्वित श्रमिक	प्रतिशत		
		संख्या	आवंटन (₹ करोड़ में)				लाभान्वित श्रमिक	आवंटित धन के विरुद्ध व्यय	उपलब्ध धन के विरुद्ध व्यय
2015–16	395.74	45	146.28	120.11	5,95,991	2,49,566	41.87	82.10	30.35
2016–17	466.41	36	273.13	180.83	10,13,018	9,57,190	94.49	66.21	38.77
2017–18	482.55	36	308.38	202.66	14,13,021	4,82,901	34.17	65.72	42.00
2018–19	494.10	27	342.51	166.98	19,17,281	9,92,841	51.78	48.75	33.79

(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि मण्डल उपलब्ध धन का केवल 33.79 प्रतिशत का उपयोग कर सका और वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत केवल 52 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को लाभावित किया गया।

उपलब्ध धन का उपयोग न करने के कारण के बारे में पूछने पर बोर्ड ने उत्तर दिया कि वर्ष 2018 में राज्य विधानसभा चुनाव के लिये आचार संहिता लागू होने के कारण धन का उपयोग नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, ₹ 300.53 करोड़ उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं होने के कारण, पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हो गये।

अनुशंसा: राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मण्डल में पंजीकृत कर्मकार के लिए कार्यान्वित कल्याण योजनाओं पर अधिकतम राशि उपयोग में लाना सुनिश्चित करना चाहिए।

3.12 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2008–09 से राज्य वित्तीय प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अद्यतन छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति में राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोई परिचर्चा नहीं की गई है।



(दिनेश आर. पाटील)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

रायपुर
दिनांक : 30 जुलाई 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 5 अगस्त 2020



(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक — महालेखापरीक्षक